न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
05/2016	02/08/2016	25.11.2025

बृजमोहन पुत्र श्री रामचन्द्र जाति सुनार निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. चिरंजीलाल पुत्र श्री बजरंगा जाति धाकड़ निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज
2. रामेश्वर पुत्र श्री बजरंगा जाति धाकड निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. विष्णु प्रसाद पुत्र श्री बजरंगा जाति धाकड निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
4. बिहारीलाल पुत्र श्री बजरंगा जाति धाकड निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
5. नन्द बाई पुत्री श्री बजरंगा जाति धाकड निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
6. भूली बाई पुत्री श्री बजरंगा जाति धाकड निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कमल बंसल एड0।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री एस0टी0एच0 आब्दी एड0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0एक्ट0

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण समीपवर्ती काश्तकार है। प्रार्थी इटावा जिला कोटा (राज.) की खसरा संख्या 778 रकबा 1.70है. भूमि का खातेदार है इसी प्रकार अप्रार्थीगण खसरा संख्या 777 रकबा 0.17है. भूमि के खातेदार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खाते के उक्त खेत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे पृथक् से दर्शित किए गए है। संलग्न नक्शा प्रार्थना पत्र का ही एक अभिन्न अंग है, जिसे प्रार्थना पत्र के साथ ही पढा व समझा जावे। प्रार्थी अपने खाते के खेत खसरा संख्या 778 रकबा 1.70है. भूमि में आने जाने के लिए, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर आदि लाने, ले जाने के लिए अप्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा संख्या 777 रकबा 0.17है. भूमि से

होकर संलग्न नक्शा के अनुसार वर्णित भूमि का उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में करता हुआ चला आ रहा है। वर्तमान मे अप्रार्थीगण के मन मे बेईमानी आ गई है एवम् उन्होने प्रार्थी को उक्त भूमि का मार्ग के रूप में उपयोग करने मे साफ मना कर दिया तथा प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 778 रकबा 1.70है. भूमि में आने जाने के लिए, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर आदि लाने, ले जाने के लिए अप्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा संख्या 777 रकबा 0.17है. भूमि से होकर संलग्न नक्शा के अनुसार वर्णित रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। प्रार्थी को अपने खाते के खेत खसरा संख्या 778 रकबा 1.70है. भूमि में आने जाने आदि के लिए उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपने खाते के खेत खसरा संख्या 778 रकबा 1.70है. भूमि में आने जाने के लिए, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर आदि लाने, ले जाने के लिए अप्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा संख्या 777 रकबा 0.17है. भूमि से होकर संलग्न नक्शा के अनुसार वर्णित भूमि का रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा संख्या 777 रकबा 0.17है. भूमि से होकर संलग्न नक्शा के अनुसार वर्णित रास्ता कायम किए जाने पर होने वाली भूमि की क्षति की क्षति पूर्ति बाबत् विधि विहित वजन से भुगतान करने को तत्पर है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा तहसील पीपल्दा के समक्ष निवेदन किया गया किन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विवश होकर माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण माह. जून 2016 के अंतिम सप्ताह में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को उक्त भूमि का मार्ग के रूप में उपयोग करने में साफ मना करने तथा संलग्न नक्शा के अनुसार वर्णित रास्ते को अवरूद्ध करने एवम् प्रार्थी के पास अपने खाते के खेत खसरा संख्या 778 रकबा 1.70है. भूमि पर आने जाने आदि के लिए उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर इटावा जिला कोटा मे उत्पन्न हुआ। प्रार्थी को अपने खाते के खेत खसरा संख्या 778 रकबा 1,70है. भूमि में आने जाने के लिए, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर आदि लाने, ले जाने के लिए अप्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा संख्या 777 रकबा 0.17है. भूमि से होकर संलग्न नक्शा के अनुसार वर्णित भूमि का रास्ता कायम किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। क्योंकि यदि संलग्न नक्शा के अनुसार वर्णित भूमि का रास्ता कायम नहीं किया गया तो रास्ते के अभाव मे प्रार्थी को अपरिमित क्षति कारित होगी जिसका द्रव्य

मे मुल्याँकन सम्भव नहीं होगा। अतः श्रीमान से विनय है कि प्रार्थी को अपने खाते के खेत खसरा संख्या 778 रकबा 1.70है. भूमि में आने जाने के लिए, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर आदि लाने, ले जाने के लिए अप्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा संख्या 777 रकबा 0.17है. भूमि से होकर संलग्न नक्शा के अनुसार 15 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाकर, जिसका राजस्व अभिलेख, नक्शा लट्ठा मे इन्द्राज किया जाकर, मार्ग उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 ता 4 की ओर से एस0टी0एच0 आब्दी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी कम 2 ता 6 की ओर से जवाब पेश किया जो अग्रलिखित है। प्रार्थी के खेत ख. नं. 778 में आने जाने के लिए कृषि उपकरण ट्रेक्टर आदि में जाने के लिए कभी भी कोई रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 777 की भूमि से होकर या उसके आसपास कभी भी नहीं रहा। प्रार्थी ने महज अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का रास्ता उत्तर दिशा में ड्रेन के सहारे होकर उसके खेत खसरा नं. 778 हमें आने जाने का है तथा प्रार्थी जानबूझकर अप्रार्थीगण के खेत को नुक्सान पहुंचाने की गरज से जबरदस्ती रास्ता अप्रार्थीगण के खेत के सहारे व भूमि में से माँग रहा है, इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वैसे तो प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खेत के सहारे अथवा आसपास सरकारी भूमि में आसपास होकर कभी भी नहीं रहा है, न ही अप्रार्थीगण ने रास्ता अवरूद्ध किया है। अगर ऐसा होता तो प्रार्थी सिविल न्यायालय में सुखाधिकार की घोषणा का वाद कर सकता था, जो उसने नहीं किया। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे। जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो अग्रलिखित है। खसरा नम्बर 753 रकबा 1.38 हैक्टर गै. मु. नहर से प्रार्थी के खेत तक रास्ता आता है। लेकिन वह रास्ता से प्रार्थी के खेत की घर से दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी बढ़ जाती है प्रार्थी को खसरा नम्बर 777 से रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी को खेत पर जाने की 2.5 किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी।

श्रीमानि जी प्रार्थी के द्वारा खसरा नम्बर 777 में से पश्चिम की तरफ की भुजा पर 15 फुट चौडा रास्ता मांगा गया है अगर खसरा

नम्बर 777 में से प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है उसकी लम्बाई चौडाई क क्षेत्रफल निम्नानुसार रहेगा। प्रार्थी के खते पर जाने के लिए इस रास्ते के अलावा अन्य विकल्प है। लम्बाई 18 गुणा 4.57 चौडाई = 0. 0082 या लगभग 0.01 हैक्टर।

बहस सुनी गई। बहस के बिन्दुओं पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। जवाब सरकार दिनांक 03.08.2023 के अनुसार प्रार्थी के खाते पर जाने के लिए इस रास्ते के अलावा अन्य विकल्प है। अतः रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा